न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर
विभाजन वाद–107 / 2015

सुधीर कुमार ठाकुर.....वादी
बनाम
राम सेवक ठाकुर वगैरह.....प्रतिवादीगण

आदेश

14.12.23 अभिलेख आज वादी की ओर से दिवानी प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक–19.10.2023 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त आवेदन पर अनापत्ति दर्ज की गई है।

अपने आवेदन में वादी ने निवेदन किया है कि वर्तमान वाद के प्रतिवादी सं0–31 की मृत्यु दिनांक–15.08.2023 को हो गई है जो अपने पीछे एक पुत्र, दो पुत्री एवं अपनी पत्नी को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए जिनका नाम वादपत्र में उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त प्रतिस्थापन आवेदन को स्वीकृत करते हुए उनके विधिक उत्तराधिकारियों का नाम वादपत्र में प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद वादी साक्ष्य हेतु चला आ रहा है। प्रतिवादी सं0–31 वर्तमान वाद में आवश्यक पक्षकार हैं जिनके विधिक उत्तराधिकारियों का नाम वादपत्र में प्रतिस्थपित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। प्रतिवादी सं0–31 की मृत्यु के संबंध में प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति दर्ज की गई है। वादी का आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है तथा वर्तमान वादपत्र में मृत प्रतिवादी सं0–31 का नाम विलोपित कर उनके स्थान उनके विधिक उत्तराधिकारियों का नाम वादपत्र में प्रतिस्थापित किया जाना वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। अतः वादी द्वारा दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि आवेदनांकित प्रतिवादी सं0–31 का नाम वादपत्र से विलोपित कर उनके स्थान पर उनके विधिक उत्तराधिकारियों का नाम प्रतिस्थापित करें। वादी प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु सम्मन का आपेक्ष दाखिल करें।

वाद दिनांक–29-02-24 वास्ते करने दाखिल सम्मन का आपेक्ष वादी की ओर से।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।